

30-4-25

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपरिच्यत प्रकरण मे
वकील वादी ने पूर्व के आदेश की पालना नहीं करते
हुए प्रतिवादी स. 1 व 2 की तलबी हेतु सम्मन पेश नहीं
किये गये। वकील वादी को पूर्व में सम्मन पेश करने का
अवसर इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आईन्ट्र
पेशी पर सम्मन पेश नहीं करने पर दावा आदेश
09 नि. 05 आ. दी. में खारिज कर दिया जावेगा। किन्तु
मिटर भी वकील वादी व वादी गण ने सम्मन पेश नहीं
किये। अतः वाद वादी का दावा अ. धा 88-188 RTA
का न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने से दावा
आदेश 09 नि. 05 आ. दी. में खारिज किया जाता है। पत्रावली
पैसल शुमार होकर नम्बर से काम हो।

५५